—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 127 / 2020

उनवान

1. सूरजमल पुत्र जग्गा
2. रूकमा पत्नी नन्दा
3. तुलसीराम पुत्र हरदेव
4. शंकर पुत्र हरदेव
5. परमानन्द पुत्र सुगना
6. भागचन्द पुत्र रामबक्ष
7. कैलाशचन्द पुत्र रामबक्ष
8. संजय पुत्र रामबक्ष
9. माया
10. मोना पुत्रियॉ रामबक्ष

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. जीवराज पुत्र देवी
2. थैली पुत्री देवी
3. नानी पत्नी देवी
4. शिवलाल पुत्र देवी
5. गलकू पत्नी काना
6. श्योजी पुत्र हरजी (फौत तर्क)
7. मंजू पुत्री गोपाल
8. सुरेश पुत्र गोपाल
9. विश्रामी पत्नी गोपाल
10. सत्यनारायण पुत्र गोपाल
11. सीताराम पुत्र गोपाल समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम दिलवाडी, नसीराबाद
12. उप पंजीयक, नसीराबाद
13. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 5 व 7 से 11 अनुपस्थित,
12 व 13 जरियें राज. पैरोकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:26:17 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :—

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाडी के वंर्किग खसरा नम्बर 512 मिन रकबा 0–6–0 की आराजी वादीगण की कयशुदा है। उक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 1 दिनांक 01.01.1996 से केतागण सुरजमल, नन्दा पि. जग्गा व तुलसीराम व शंकर पुत्र हरदेव व रामबक्ष, परमानन्द पि. सुगना जाति रेगर के नाम खातेदारी दर्ज की गयी। केता/वारिस वादीगण ही है। वंर्किग खसरा नम्बर 512 मिन रकबा 0–6–0 के हाल खसरा नम्बर 669 रकबा 0.08 को त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के नाम दर्ज कर दी गयी। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है। व अन्यत्र हसतांतरण कने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर 669 रकबा 0.08 में से 0.05 का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावें। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पावंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व 7 से 11 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 6 का नाम तर्क किया गया। राज. पेरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादीगण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम दिलवाडी के वंर्किग खसरा नम्बर 512 मिन रकबा 0–6–0 की आराजी वादीगण की कयशुदा है। उक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 1 दिनांक 01.01.1996 से केतागण सुरजमल, नन्दा पि. जग्गा व तुलसीराम व शंकर पुत्र हरदेव व रामबक्ष, परमानन्द पि. सुगना जाति रेगर के नाम खातेदारी दर्ज की गयी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत पंजीबद्व विक्रय पत्र अनुसार भी आराजी मुतनाजा वादीगण/पूर्वज की कयशुदा सिद्व होती है। बंदोबस्त विभाग को हाल खसरा नम्बर 669 रकबा 0.08 में से 0.05 का खातेदार दर्ज करना था। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में हाल खसरा नम्बर 669 का समस्त रकबा प्रतिवाडीगण के नाम दर्ज कर दिया। वादीगण/पूर्वज ने आराजी मुतनाजा जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र तत्कालीन खातेदार से कय की थी। उक्त विक्रय पत्र की पालना राजस्व अभिलेख में केतागण के नाम दर्ज हो गयी थी। पंजीकृत विक्रय पत्र की सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। विकेता के खातेदारी अधिकारो का अवसान हो चुका है। राज0 पैरोकार द्वारा भी वाद का खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा वादीगण/पूर्वज की विधिक कयशुदा सिद्व होती है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र व राजस्व अभिलेख से आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादीगण आराजी मुतनाज पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम दिलवाडी के हाल खसरा नम्बर 669 रकबा 0.05 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को खसरा नम्बर 669 रकबा 0.08 में से 0.05 का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमद दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:26:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

सुरजमल बनाम शिवराज

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 127/2020
पेश करने की दिनांक – 04.11.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस) –व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

दिलवाडी के हाल खसरा नम्बर 669 रकबा 0.05 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को खसरा नम्बर 669 रकबा 0.08 में से 0.05 का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमद दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक माह सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:26:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद